

सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी
(भारत सरकार का उद्यम)

आरडब्लूसी पर मानसून के दौरान दैनिक भंडारण टैरिफ में अस्थायी बढ़ोतरी को लागू करने के
मामले में नीति

1. आवश्यकता तथा उद्देश्य:

बरसात के मौसम में, सीमेंट/चीनी पार्टियां आरडब्लूसी में आ जाती हैं तथा लंबे समय तक भंडारण का सहारा लेती हैं क्योंकि नमी के संपर्क में आने पर इन कोडाइटिस को बहुत अधिक नुकसान की आशंका होती है। इसके कारण कभी-कभी गोदामों की पैकिंग हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप रेक डिटेंशन/डिमर्जज होता है तथा परिणामस्वरूप रेलवे को अप्रसन्नता होती है। इसलिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए तथा टर्मिनल पर सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए, बरसात के मौसम में भंडारण शुल्क में वृद्धि की जा सकती है, जो कि अधिक संख्या को समायोजित करने तथा सुविधा प्रदान करने के लिए टर्मिनल पर आने वाली रेक गोदाम की भीड़ को किसी भी समय मुक्त रखने के लिए होगी।

2. मार्गदशक सिद्धांत:

रेलवे में भी गोदी शुल्क की व्यवस्था है, यदि उनके गोदी पर नियमित कब्जा बना रहा है। हम मानसून के मौसम के दौरान तथा जब आवश्यक हो, भंडारण शुल्क तथा दंडित/बंद आरक्षण की दंडात्मक दरों को लागू करने पर विचार कर सकते हैं। चूंकि ऐसी स्थिति अस्थायी हो सकती है। यदि स्टॉकिंग अधिक है, तो टर्मिनल प्रबंधकों को निश्चित प्रतिशत से टैरिफ बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने का सुझाव दिया जाता है, तथा जब अधिक भीड़-भाड़ में ढील दी जाती है, तो इसे सामान्य स्तर पर लाया जाता है। यह तेजी से निकासी को प्रेरित करके कारोबर में वृद्धि कर सकता है तथा रेलवे की अप्रसन्नता से बचने के अलावा वैकल्पिक रूप से अधिक राजस्व अर्जित करने में सहायता करता है।

3. इस पॉलिसी में शामिल शुल्कों में बढ़ोतरी के लिए पद्धति:

(I) अस्थायी दंडात्मक प्रावधान

बरसात के मौसम में आरडब्लूसी में सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित तरीके से उन दलों (दैनिक तथा आरक्षण) के भंडारण शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है:—

(क) पहले चरण में एक सप्ताह के लिए टैरिफ में 20 प्रतिशत की वृद्धि करें तथा यदि मामला प्रभावी नहीं है, तो

(ख) भीड़-भाड़ की स्थिति सामान्य होने तक दूसरे चरण में टैरिफ में 40 प्रतिशत की वृद्धि करें।

टर्मिनल प्रबंधक को बढ़ोतरी की अवधि तथा इसकी वापसी की सूचना 2 दिन पहले देनी चाहिए। टर्मिनल प्रबंधक को अनिवार्य रूप से परिचय तथा निकासी वृद्धि की लिखित रूप में तथापि उपयोगकर्ताओं (मेल के माध्यम से), सीजीएस तथा उप महाप्रबंधक-एलओएम/प्रबंधक एलओएम को संचार के अलावा उनको नोटिस बोर्ड पर वापस लेने की सूचना देनी चाहिए।

चूंकि ऐसे टैरिफ बढ़ोतरी की आवश्यकता हो सकती है तथा तुरंत और नियमित आधार पर वापस ली जा सकती है तथा सीओ से अनुमोदन प्राप्त होने में समय लग सकता है, टर्मिनल प्रबंधक को उपरोक्त परिस्थिति में संगठन के हित में अपने स्तर पर एक प्रबुद्ध निर्णय लेना है।

(II) मानसून का नियमित प्रावधान

उपरोक्त के अतिरिक्त, मानसून के मौसम को देखते हुए सभी आरडब्लूसी पर भंडारण टैरिफ (दैनिक तथा आरक्षण) में 05% (पांच प्रतिशत) की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है तथा पैरा 3 से ऊपर वर्णित उपरोक्त स्थिति के बावजूद आरडब्लूसी पर सुचारु संचालन में किसी भी बाधा से बचने के लिए है।

टैरिफ में बढ़ोतरी, पैरा 3(I) के रूप में उल्लिखित है, जो भंडारण टैरिफ में पांच प्रतिशत की इस समान बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगी।

4. इस नीति की प्रभावित तारीख

उपरोक्त पॉलिसी प्रारम्भ में 01.07.2019 से 31.08.2019 तक प्रभावी रहेगी। उस समय प्रचलित व्यावसायिक स्थिति की जांच के बाद आगे निर्देश जारी किए जाएंगे। टर्मिनल प्रबंधक पॉलिसी पर पाक्षिक प्रतिक्रिया तथा 20.08.2019 तक इसे 31.08.2019 से आगे बढ़ाने की उनकी स्पष्ट सिफारिश प्रस्तुत करेगा। यदि कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है, तो यह माना जा सकता है कि संबंधित टर्मिनल को 31.08.2019 से आगे के विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

5. संशोधन/स्पष्टीकरण तथा रियायत

कम्पनी किसी भी समय, कम्पनी के समग्र हित में इस नीति के किसी भी नियम को संशोधित/परिवर्तित कर सकती है। प्रबंध निदेशक के पास इन नियमों के स्पष्टीकरण करने, पॉलिसी में सुधार करने तथा संदेह की स्थिति में स्पष्टीकरण प्रदान करने की शक्ति होगी तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। वह कम्पनी के समग्र हित में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को कम कर सकता है।
